कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- ले.ह./03/नि.वि.-1/विधिक/409/2023/1386 दिनांकः 12.03.2026

परिपत्र/Circular

विषयः आपराधिक प्रकरणों में आरोप-पत्र (Charge-sheet) दाखिल होने की सूचना अनिवार्य रूप से देने के संबंध में।

मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 10-Staff Wing/2026 दिनांकः 17.02.2026 एवं विभिन्न सरकारी नियमों (CCS Conduct Rules, 1964 एवं CCS CCA Rules, 1965) के आलोक में, प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सूचित किया जाता है:-

1. यदि किसी सरकारी सेवक को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो उसे तत्काल कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है, भले ही उसे बाद में जमानत मिल गई हो। (केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 (2) के अंतर्गत 48 घंटे से अधिक की हिरासत 'Deemed Suspension' की श्रेणी में आती है)।

2. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे इसकी सूचना अविलंब अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। इसे छिपाना "महत्वपूर्ण सूचना को दबाना" (Suppression of Information) माना जाएगा।

3. यदि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जाता है, तो वे इसकी सूचना तत्काल, बिना किसी विलंब के, लिखित रूप में अपने कार्यालय/नियंत्रणाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

4. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने निजी आचरण या क्षमता में किए गए किसी कार्य के बचाव (Vindication) हेतु कोई न्यायिक या कानूनी कार्यवाही शुरू करता है, तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 19 (2) के तहत निर्धारित प्राधिकारी को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना को छिपाना अथवा समय से न देना गंभीर कदाचार माना जाएगा और संबन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जो कि आपराधिक प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही से स्वतंत्र एवं अतिरिक्त होगी।

तदनुसार, प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके विरुद्ध कोई नवीन या पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण हो, या उनके विरुद्ध कोई आरोप पत्र दाखिल किया गया हो अथवा भविष्य में भी उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए या आरोप-पत्र दाखिल किया जाए तो वे, इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय के निर्माण विविध-1(विधिक) अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

12/3/26

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/निर्माण

संख्या- ले.ह./03/नि.वि.-1/विधिक/409/2023/99-101

दिनांक: 12.03.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त प्रभागीय लेखाकार/प्रभागीय लेखाधिकारी संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय के वैबसाइट के माध्यम से ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई०टी०सी०जी०, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/निर्माण